न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति(तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 120/2023

सरकार बनाम् बलबीर पुत्र मातुराम, जाति मेघवाल निवासी–कुलोठ खुर्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 13.03.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बलबीर पुत्र मातुराम, जाति मेघवाल निवासी–कुलोठ खुर्द द्वारा रोही मौजा कुलोठ खुर्द की भूमि ख.नं. 528/95 के कुल रकबा 6.44 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.05 है0 पर चारदिवारी व मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद गैर सायल ने कोई जवाब नोटिस पेश नही किया और ना ही न्यायालय में उपस्थित हुआ। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 29

वर्ष 22-23 में रुपये 15/- कायम कि

राजस्व लेखाकार

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़